न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 01/2023

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– घेवरी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति जाट, निवासी जाटों का बास, बासनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण		1–गौतम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति जाट, निवासी जाटों का बास, बासनी हरिसिंह, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.12.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) भोपालगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 घेवरी बनाम गौतम में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी अनुपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

संक्षिप्त अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) भोपालगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 (1) (क) व (ख), माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने एवं घर से बेदखल नही करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) भोपालगढ़ द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2022 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी घेवरी को अप्रार्थी/प्रत्यर्थी गौतम की सगी माता नही होने से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नही मानकर प्रकरण खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (01/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के नोटिस दिनांक 01.11.2023 बाद तामील/अदम तामिल नही लौटे, प्रत्यर्थीपक्ष स्वयं उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। रेस्पोडेण्ड द्वारा लिखित बहत प्रस्तुत की गई तथा अपीलार्थी दिनांक 06.03.2024 को उपस्थित होने पर उनका पक्ष सुना गया।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 पुत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्रतिमाह 25000/– रूपये का भरण पोषण दिलाने एवं घर से बेदखल नही करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी ने अपने पूर्व पति बिरमाराम के निधन पश्चात अप्रार्थी की पिता स्व. भंवरलाल पुत्र मेगाराम से नाता विवाह कर लिया तथा नाता विवाह के पश्चात प्रार्थीया भंवरलाल के घर में पत्नी की हैसियत से रही तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों में अपीलार्थी/प्रार्थी भंवरलाल की पत्नी के रूप में अंकन है तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत सौतेली माता भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाने व अधीनस्थ अधिकरण का पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 को खारिज करने का आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि अपीलार्थी/प्रार्थी को पूर्व पति बिरमाराम पुत्र अचलाराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके नाम की कृषि भूमि/सम्पति अपने नाम करवाकर तुरन्त ही बेचान कर सम्पूर्ण राशि हड़प कर ली तथा अब अपीलार्थी/प्रार्थी की मंशा रेस्पोडेण्ड/अप्रार्थी के पिता भंवरलाल के नाम की सम्पति हड़प करना है, इसी उद्देश्य से अपीलार्थी ने भंवरलाल के हक व हिस्से की भूमि जो ग्राम बासनी हरिसिंह, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 373 रकबा 6.7259 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाकर उसका भी दिनांक 24.07.2023 को बेचान कर दिया, इस प्रकार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा लगभग 20 लाख रूपये से अधिक की राशि प्राप्त की गई। अब अपीलार्थी की मंशा रेस्पोडेण्ड/अप्रार्थी की सम्पति हड़प करना है। लिखित बहस में यह भी बताया गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी कभी भी भंवरलाल या रेस्पोडेण्ड के साथ निवासरत नही रही, न ही रेस्पोडेण्ट का पालन पोषण किया तथा न ही भंवरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी के साथ नाता विवाह की जानकारी रेस्पोडेण्ट को दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से धारा 5 सहपत प्रतिमाह 25,000/– भरण पोषण की राशि दिलाने व घर से बेदखल नही करने की प्रार्थना की गई। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 (घ) "Parent means father or mother whether biological, adoptive or step father or step mother, as the case may be, whether or not the father or the mother is a senior citizen " के तहत सौतेली माता भी माता मानी जावे किन्तु अधिनियम की धारा 4 (1) में " A senior Citizen including parent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, Shall be entitled to make an

अपील अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

application under Section 5 in case of- (i) parent or grand-parent, against one or more of his childrennot beingh minor, (ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in Clause (g) of section 2." का प्रावधान है। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त रिकार्ड व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर अपीलार्थी घेवरी के पास उसके पूर्व पति बिरमाराम के निधन पश्चात स्व. बिरमाराम पुत्र अचलाराम की कृषि भूमियां सोवों की ढाणी पटवार हल्का पिपलिया भू. अभि.नि. पालडी सिद्धा में खसरा संख्या 2503 रकबा 8.0937 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 2524 रकबा 2.9866 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई का नामान्तरण संख्या 118 दिनांक 26.10.2021 को अपीलार्थी/प्रार्थी घेवरी के नाम दर्ज हुआ जिसका बेचान घेवरी द्वारा जरिये आममुख्त्यारनामा जेठाराम द्वारा कर दिया गया तथा स्व. भंवरलाल के हक हिस्से की भूमि खाता संख्या 380 खसरा नम्बर 373 रकबा 6.7259 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम का 1/2 हिस्सा भी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा कर उसका भी दिनांक 24.07.2023 को बेचान कर दिया, साथ ही अपीलार्थी को वर्ष 2018 से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है। अतः उक्त विवरण के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी अपना भरण पोषण करने में सक्षम होने के कारण अप्रार्थी गौतम से भरण पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील निरस्त की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)